वार्षिक लेखा

2008 - 09

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर IV बी प्रथमतल
भारत पर्यावास केन्द्र
लोदी रोड़ नई दिल्ली -110003

ANNUAL ACCOUNTS 08-09 (HINDI)

31.3.2009 के वार्षिक लेखो का इंडेक्स

क्रम सं.	सूची संख्या	पृष्ठ संख्या
1	आडिट रिर्पोट	1-3
2	तुलन पत्र	4
3	आय एवं व्यय लेखा (योजना)	5
4	आय एवं व्यय लेखा (गैर योजना)	6
5	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	7-10
6	अनुसूची 1 से 15	11-21
7	अनुसूची 16 एवं 17 दिनांक 31/3/2009 की स्थिति के अनुसार लेखों और संबंध लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना पर टिप्पाणियाँ	22-25

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखे से संलग्न तुलनपत्र और आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अदायगी लेखा की लेखा परीक्षा की है । ये वित्तीय विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी है । हमारी जिम्मेवारी, हमारे द्वारा इन वित्तीय विवरणों पर की गई लेखा परीक्षा पर मत व्यक्त करना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल लेखा ट्रीटमेंट पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक की टिप्पणियां हैं । यह टिप्पणियां वर्गीकरण, अनुरूपता, सर्वोत्तम लेखा व्यहवर्ताओं, लेखा मानकों और प्रकट किए गए प्रतिमानों के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य तथा नियमत्ता) और निपुणता-सह निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा रिपोर्टों में अलग से दिखाई गई हैं ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा, प्रायः भारत में स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों मे यह अपेक्षा की गई है कि हम लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन भौतिक गलत बयानी से मुक्त वित्तीय विवरणों के संबंध में तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करते हैं । एक लेखा परीक्षा में, टैस्ट बेसिज, प्रमाण, राशिओं के संबंध में समर्थन दस्तावेज और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल हैं । लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा परीक्षा नियम का जायजा लेना और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारे मत का औचित्य आधार है ।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं सूचित करता हूं कि

i) मैंने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षण प्रयोजन के लिए आवश्यक थे को प्राप्त कर लिया है ।

ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय के सामान्य वित्तीय नियम की धारा/नियम 209(6) (xiii) के अधीन निर्धारित फार्मेट में तैयार किए गए हैं ।

iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा लेखे की पुस्तकें और संबंधित रिकार्ड जहां तक हमारे द्वारा इनकी जांच की गई है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उचित रूप से रखा गया है जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, अधिनियम, 1985 की धारा 33 (i और ii) द्वारा अपेक्षा की गई है ।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान 102.35 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान में से (100 करोड़ रूपये योजना और 2.35 करोड़ रूपए गैर-योजना) प्राप्त हुई थी, संगठन ने वर्ष के दौरान पूरे अनुदान का उपयोग किया ।

ख. प्रबंधन पत्र

कमियां, जिन्हें अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है सुधार लाए जाने हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जानकारी में ला दी गई हैं ।

v) पिछले पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों को छोड़ कर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन-पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्तियां और भुगतान लेखे, लेखा पुस्तकों के अनुसार हैं ।

vi) मेरी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखों पर लेखाकरण नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण भारत में प्राय स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांत के अनुरूप सही और निष्पक्ष प्रकटन करते हैं:

क. जहां तक 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के मामलों के संबंध में तुलन पत्र संबंधित है ।

ख. जहां तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष की आयँ और व्यय लेखे का संबंध है ।

ह/.
(के.आर. श्रीराम)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षण
आर्थिक और सेवा मंत्रालय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 सितंबर, 2009

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2009 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र

(राशि रूपये)

कायिक/पूंजी निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
एनसीआरपीबी निधि (कायिक/पूंजी निधि)	1	20052324460	18229023109
विशेष आरक्षिति (Special Reserve)	2	285000000	0
निर्धारित/विन्यास निधियां		0	0
बाजार ऋण (कर योग्य व कर मुक्त बांड)		4651000000	2000000000
अप्राप्त कर्जे और ऋण		0	0
आस्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं और प्रावधान	3	159287178	67588104
योग		25147611638	20296611213
परिसम्पत्तियां			
सावधि परिसम्पतियां	4	11306952	12657486
निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश		0	0
पीएफ/एनपीएस का निवेश	5	13290864	12406260
चालू परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	25123013822	20271547467
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाली गई अथवा समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		25147611638	20296611213
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	16		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स आन एकाउन्टस	17		

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजना)

(राशि रूपये)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलन पत्र में स्थानांतरण	तुलन पत्र में स्थानांतरण
शुल्क व अभिदान		0	0
निवेश से निर्धारित/विन्यास निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों से आय		34955	45850
अर्जित ब्याज	7	1401705509	1140984885
अन्य आय	8	9369504	0
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर		0	0
योग (क)		1411109968	1141030735
व्यय			
स्थापना व्यय	9	18914134	11944251
अन्य प्रशासिनक व्यय आदि	10	14314543	11657674
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय		0	0
बाजार ऋण पर व्यय	11	217773905	38508653
अनुसूची - 4 से संबंधी मूल्यहास		1475610	1723776
योग (ख)		252478192	63834354
व्यय (क-ख) की तुलना में आय से अधिक शेष		1158631776	1077196381
आयकर / फ्रिंज लाभकर का प्रावधान		0	0
बोर्ड रिडम्पशन रिर्जव (बी.आर.आर) में अंतरण		285000000	0
आय और व्यय लेखा (गैर-योजना) में अन्तरण		50546740	0
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो. में अन्तरण		823085036	1077196381
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	16		
आकास्मिक देयताएं और नोट्स ऑन एकाउन्टस से	17		

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर-योजना)

(राशि रूपयों में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
एम ओ यू डी से सहायता अनुदान		23500000	18741000
शुल्क व अभिदान		0	0
जी पी एफ व सी पी एफ के निवेश से आय	12	1331086	749523
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	13	8101	56427
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)		0	0
आय और व्यय लेखा(योजना) से अन्तरण		50546740	0
योग (क)		**75385927**	**19546950**
व्यय			
स्थापना व्यय	14	20720220	14169020
अन्य प्रशासिनक व्यय आदि	15	3902652	4582680
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय		0	0
ब्याज		0	0
अनुदान की सावधि परिसम्पत्तियों से प्राप्ति		0	0
योग (ख)		**24622872**	**18751700**
व्यय की तुलना में आय की अधिकता से शेष (क -ख)		50763055	795250
ग्रेच्युटी का प्रवाधान		6920778	0
छुटटी नकदीकरण प्रावधान		12477846	0
पेंशन (वर्तमान) प्रावधान		19306197	0
पेंशन (रिटायर्ड) प्रावधान		11841919	0
व्यय की तुलना में आप की शुद्ध अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो में अन्तरण		216315	
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	16		
आकस्मिक देयताएं और नोटस आनॅ एकाउन्टस	17		

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. अथ शेष						
(क) हाथ में रोकड़	5224	5224	0	3269	3269	0
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	729331970	729331970	0	550209028	550209028	0
(ग) बचत खाता जी पी एफ में शेष	387874	0	387874	427370	0	427370
(घ) बचत खाता सी पी एफ में शेष	168716	0	168716	933	0	933
(ङ) एस बी खाता नई पेंशन योजना मे शेष	548575	0	548575	312394	0	312394
उपयोग	730442359	729337194	1105165	550952994	550212297	740697
II. प्राप्त अनुदान						
(क) शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार से	523500000	500000000	23500000	1018741000	1000000000	18741000
(ख) दिल्ली सरकार से	500000000	500000000	0	500000000	500000000	0
III. निवेश पर आय जी पी एफ सी पी एफ एन.पी.एस.						
(क) बचत बैंक ब्याज	44052	0	44052	35900		35900
(ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	1102754	0	1102754	636619	0	636619
IV. प्राप्त ब्याज						
(क) राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए गए ऋण पर	1250984421	1250984421	0	881700970	881700970	0
(ख) बचत बैंक (आटोस्वेप एफ डी आर सहित)	61744860	61744860	0	48591654	48591654	0
(ग) बैंक जमाओं पर	22057610	22057610	0	133654478	133654478	0
(घ) स्टाफ को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज	0	0	0	20027	20027	0
V. अन्य आय						
(क) रा.रा.क्षे. प्रकाशनों की बिक्री	34955	34955	0	45850	45850	0
(ख) 2005-06 की अल्प प्राप्ति वापस	0	0	0	0		0
(ग) ऋणों पर पूर्व चार्ज भुगतान	0	0	0	2020800	2020800	
(घ) समाचार पत्रों की बिक्री	1575	0	1575	2200	0	2200
(ङ) परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	2525	0	2525	0	0	0

(च) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	1113	0	1113	532	0	532
(छ) भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	0	0	0	2300	0	2300
(ज) आर ओ आई की पुर्नस्थापना के लिए अपफ्रंट शुल्क	0	0	0	0	0	0
(ण) एम.ओ.यू.डी. से अध्यन प्रतिपूर्ति	9369504	9369504	0	0	0	0
VI उधार रकम रा.रा.क्षे.यो.बो कर योग्य बॉड	2651000000	2651000000		2000000000	2000000000	
VII. अन्य प्राप्ति						
(क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का पुनर्भगतान	2588355482	2588355482	0	2076194936	2076194936	0
(ख) भुनाई गई सावधि जमा	2000000000	2000000000		21627021474	21627021474	0
(ग) भविष्य निधि निवेशों की परिपक्वता	6500000	0	6500000	4860000		4860000
(घ) बयाना /सिक्योरिटी डीपोजिट	14388	0	14388	8465	0	8465
(च) स्टॉफ को विविध अग्रिम	100099	0	100099	40316		40316
(छ) पेट्रोल अग्रिम	1000		1000	2615	0	2615
(ज) यात्रा अग्रिम	158202	0	158202	351090		351090
(झ) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	133574		133574	81439		81439
(ड) कम्पूटर अग्रिम की नकद वसूली	12000		12000	12300		12300
(ट) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	0		0	6240	0	6240
(ठ) एल आई सी से प्राप्त जी आई एस धन	72702		72702	102859	0	102859
(ड) सामान्य भविष्य निधि रोकड़ की कटौती	0		0		0	0
(ढ) स्त्रोत पर कर की कटौती	2857575	0	2857575	2124823	0	2124823
(ण) राज्यों को दिए गए ऋण से अधिक प्राप्तियां	45753	45753		614553	614553	
वेतन एवं भत्तों की नकद वसूली	0			47385		47385
(ल) जी पी एफ (निकासी) वापिसी	730000		730000	73900	0	73900
	10349266503	10312929779	36336724	28847947719	28820077039	27870680

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपयों में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
(क) स्थापना व्यय (अनुसूची-13 संबंधी)	24470777	6701568	17769209	19803016	8330998	11472018
(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची-14 संबंधी)	18425133	14594660	3830473	15862390	11283563	4578827
(ग) बाजार ऋण पर व्यय	186906750	186906750	0	8042078	8042078	0
II.राज्य सरकार/ऐजेंसियों को बांटे गए कर्जे	7230554000	7230554000	0	7053724750	7053724750	0
III. किए गए निवेश और जमा						
(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशि	1000000000	1000000000	0	20657302784	20657302784	0
(ख) भविष्य निधि / एन पी एस	5900000		5900000	5000000	0	5000000
(ग) अन्य: बी आर आर	285000000	285000000				
IV. सावधि परिसम्पत्तियों पर व्यय						
(क) सावधि परिसम्पत्तियों की खरीद	125169		125169	501499	0	501499
V. राज्य सरकार को बेशी धन/ऋणों की प्रतिदायगी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों और अग्रिमों का भुगतान						
(क) स्टॉफ को अन्य अग्रिम	492283		492283	296611		296611
(ख) जी पी एफ से अग्रिम/आहरण	3611657		3611657	2031326	0	2031326
(ग) यात्रा अग्रिम	467800	0	467800	330530		330530
(घ) बैंक को भुगतान के लिए वसूली (आवास ऋण)	0	0	0	10890		10890

VII. अन्य भुगतान						
(क) रा.रा.क्षेत्रों के बांडों का मोचन	0	0	0	0	0	
(ख) बयाना राशि	100000		100000	150000		15000
(ग) भुगतान किया गया आयकर और एफ बी टी	53502840	53502840	0	351817682	351685075	13260
(घ) दिए गए अधिक ब्याज की प्रतिदायगी	0		0	0	0	
(ङ) जी आई एस निधि से भुगतान	100707		100707	127390	0	12739
(च) एन पी एस को बोर्ड का अंशदान	0	0	0	0	0	
(छ) स्त्रोत पर कर की कटौती	3656561		3656561	2347535	0	234753
(ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारी वसूली	190079	0	190079	156880	0	15688
VIII. इति शेष						
(क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	21923	21923		5224	5224	
(ख) बचत खाते में बैंक बैलेंस	1533335336	1533335336	0	729331970	729331970	
(ग) बचत खाते में बैंक बैलेंस (सी पी एफ)	308094	0	308094	387874	0	38787
(घ) बचत खाते में बैंक बैलेंस (जी पी एफ)	2083198	0	2083198	168716	0	16871
(ङ) बचत खाते में बैंक बैलेंस (एन पी एस)	14196	0	14196	548575	0	54857
	10349266503	**10310617077**	**38649426**	**28847947719**	**28819706441**	**2824127**

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (काषिक/पूंजी निधि)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरूआत में शेष	18229023109	15651031478
जोड़े: दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	500000000	500000000
जोड़े: एम ओ यू डी से सहायता-अनुदान	500000000	1000000000
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (योजना) में अन्तरित	823085036	1077196381
जोड़े: आय तथा व्यय लेखा (गैर-योजना) में अन्तरित	216315	795250
वर्ष-समाप्ति पर शेष	20052324460	18229023109

अनुसूची-2

(राशि रूपयों में)

विशेष रिजर्व	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बांड रिडम्पशन रिजर्व (बी आर आर)		0
पिछले लेखों के अनुसार	0	0
वर्ष के दौरान जमा	285000000	0
वर्ष के दौरान घटाया	0	0
वर्ष समाप्ति पर शेष	285000000	0

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-3

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयों में)

	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
चालू देयताएं और प्रावधान		
सांविधिक देयताएं		
1. सामान्य भविष्य निधि	11110639	11065540
2. सी पी एफ	0	0
3. नई पेंशन योजना निधि	1043904	568379
4. जी आई एस निधि	954299	954404
5. पेंशन हेतु अंशदान	504101	504101
6. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	22329	13000
7. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से स्त्रोत पर कर की कटौती	65524	231623
8. रा.रा.क्षे.यो बोर्ड करयोग्य बाँड 2018 पर ब्याज प्रोदभूत देय नहीं	29031234	0
9. रा.रा.क्षे.यो बोर्ड करयोग्य बाँड 2019 पर ब्याज प्रोदभूत देय नहीं	27911762	0
10. अतिशोध्य	205000	205000
उपयोग	70848792	13542047
अन्य चालू देयताएं		
1. भुगतेय खर्चे	36300580	52226147
2. बयाना	689655	781965
3. राज्य सरकारों/एजेंसियों से ऋणों की अपेक्षा अधिक प्राप्तियां	901411	1037945
उप-योग	37891646	54046057
प्रावधान:-		
1. आयकर	0	0
2. ग्रेच्युटी	6920778	0
3. पेंशन (वर्तमान)	19306197	0
4. पेंशन (रिटायर्ड)	11841919	0
5. छुटटी नकदीकरण	12477846	0
उप-योग	50546740	0
कुल योग	159287178	67588104

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2008-09 के लिए सावधि परिसम्पत्तियां

क्रमांक	परिसम्पत्तियों के नाम	01.04.08 के अनुसार शेष	परिवर्धन		बिक्री/ अन्तरण	सकल शेष	मूल्यहास		निवल शेष
			30.9.08 तक	30.9.08 के पश्चात्			दर (%)	राशि	
(क) सरकारी अनुदान से उपार्जित परिसम्पत्तियां									
1.	एडीशनल पावर पावंइट	1650.34	0.00	0.00	0.00	1650.34	10	165	1485.00
2.	एयर कंडीशनर	2552.90	0.00	0.00	0.00	2552.90	15	383	2169.90
3.	वार्षिक प्रकाशन/ रेफरेस बुक	0.00	6226.00	885.00	0.00	7111.00	100	3376	3735.00
4.	आटो डायलर	190.55	0.00	0.00	0.00	190.55	15	29	161.55
5.	कैलकुलेटर	418.84	0.00	820.00	0.00	1238.84	15	124	111.84
6.	कार	430198.70	0.00	0.00	0.00	430198.70	15	64530	365668.70
7.	कंप्यूटर/प्रिंटस	224835.33	7800.00	0.00	0.00	232635.33	60	139581	93054.00
8.	कंप्यूटर साफ्टवेयर एंड डेव.	2555.80	0.00	0.00	0.00	2555.80	60	1533	1022.80
9.	सी वी टी	3438.35	0.00	0.00	0.00	3438.35	15	516	2922.00
10.	इको विडियोग्राफी	657.48	--	--	657.48	0.00	15	0.00	0.00
11.	विद्युत उपकरण	4162.88	0.00	0.00	279.00	3883.88	15	583	3300.88
12.	इलैक्ट्रानिक टाइपराइटर	577.86	0.00	0.00	0.00	577.86	15	87	490.86
13.	ई पी ए बी एक्स	79286.25	0.00	0.00	0.00	79286.25	15	11893	67393.00
14.	फालस सिलिंग ट्यूब फिटिंग	776.19	0.00	0.00	0.00	776.19	10	78	698.00
15.	फैक्स मशीन	13530.68	0.00	0.00	0.00	13530.68	15	2030	11500.68
16.	फायर फाइटिंग उपकरण	99.16	0.00	0.00	0.00	99.16	15	15	84.00
17.	फर्निशिंग	91273.55	0.00	0.00	0.00	91273.55	10	9127	82146.55
18.	फर्नीचर	308314.48	40489.00	29700.00	0.00	378503.48	10	36365	342138.48
19.	गोदरेज सेफ/चेस्ट	1530.74	0.00	0.00	0.00	1530.74	10	153	1377.74
20.	गोदरेज कैबिनेट	4158.61	0.00	0.00	0.00	4158.61	10	416	3742.61
21.	हाटलाइन प्रोजेक्शन विजन	3477.02	0.00	0.00	0.00	3477.02	15	522	2955.00
22.	क्रिसन वी सी आर	439.37	0.00	0.00	439.37	0.00	15	0	0.00
23.	लायब्रेरी किताबें	14150.00	2865.00	9184.00	0.00	26199.00	60	12964	13235.00
24.	चिकित्सा उपकरण	3247.19	0.00	0.00	0.00	3247.02	15	487	2760.19
25.	निकोन डिजिटल कैमरा	28509.60	0.00	0.00	0.00	28509.60	15	4276	24233.60
26.	सोनी डिजिटल कैमरा	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00	15	1800	10200.00
27.	फोटोकापी मशीन	456971.18	0.00	0.00	0.00	456971.18	15	68546	388425.00
28.	पी वी सी पार्टीशन	5532.73	0.00	0.00	0.00	5532.73	10	553	4979.73
29.	पैडेस्टल फेन	1223.22	0.00	0.00	0.00	1223.22	10	122	1101.00
30.	पेपर मोनस्टरजुनियर	2132.78	0.00	0.00	0.00	2132.78	15	320	1812.78
31.	पिक अप वैन बजाज आटो	55405.37	0.00	0.00	0.00	55405.37	15	8311	47094.00
32.	रेफ्रिजेटर	690:15	0.00	0.00	0.00	690.15	15	104	586.00
33.	रेटरिंग स्क्राइबर	6385.08	0.00	0.00	0.00	6385.08	15	958	5427.00
34.	स्पल बाइन्डर ए 4 साइज	14601.78	0.00	0.00	0.00	14601.78	15	2190	12411.78
35.	टेपरिकार्डर/टू इन वन	2655.78	0.00	0.00	0.00	2655.78	15	398	2257.78
36.	टेलीफोन	54284.24	15000.00	2700.00	0.00	71984.24	15	10595	61389.00
37.	टेलीविजन	13100.93	0.00	0.00	0.00	13100.93	15	1965	11135.93
38.	टाइपराइटर	1176.65	0.00	0.00	0.00	1176.65	15	177	999.65
39.	यू पी एस	116.99	0.00	0.00	0.00	116.99	60	70	46.99
40.	दीवार घड़ी	894.88	200.00	0.00	0.00	1094.88	10	109	985.88
41.	वाटर कूलर	1413.87	0.00	0.00	1413.87	0.00	15	0	0.00
42.	वाटर डिस्पेंसर	1830.86	0.00	0.00	0.00	1830.86	15	275	1555.86
43.	वेब कैमरा (डी-लिंक)	690.89	0.00	0.00	0.00	690.89	15	104	586.89
	उप-योग	1839139.22	84580.00	43289.00	2789.72	1964218.53		385830	1578386
(ख)	आई एच सी में आफिस एकामोडेशन	10678453.72	0.00	0.00	0.00	10678453.72	10	1067845	9610609
(क)	योग (क) + (ख)	12517592.94	84580.00	43289.00	2789.72	12642672.25		1453675	11188995

(ख) स्वयं की निधियां उपार्जित परिसंम्पत्तियां

क्रमांक	परिसम्पत्तियों के नाम	दिनांक 01.04.08 की स्थिति के अनुसार शेष	परिवर्धन		बिक्री	सकल शेष	मूल्यहास		निवल शेष
			30.9.08 तक	30.9.08 के पश्चात्			दर (%)	राशि	
(क) सरकारी अनुदान से उपार्जित परिसम्पत्तियां									
1.	कोट स्टेंड	5182.83	0.00	0.00	0.00	5182.83	10	518	4664.83
2.	कंप्यूटर/प्रिन्टर	53.60	0.00	0.00	0.00	53.60	60	32	21.60
3.	फर्नीचर	4318.54	0.00	0.00	0.00	4318.54	10	432	3886.54
4.	प्रोजेक्ट स्पान	125412.02	0.00	0.00	0.00	125412.02	15	18812	106600.02
5.	कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा डेवल्पमेंट	1827.93	0.00	0.00	0.00	1827.93	60	1097	730.93
6.	टेलीफोन	1810.54	0.00	0.00	0.00	1810.54	15	272	1538.54
7.	यू पी एस	1287.88	0.00	0.00	0.00	1287.88	60	773	514.88
	योग	139893.34	0.00	0.00	0.00	139893.34		21936	117957.3

	कुल योग (क+ख)	12657486.28	84580.00	43289.00	2789.72	12782565.59		1475610.0	11306952

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

निवेश-अन्य	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) जी पी एफ / सी पी एफ का भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	3411385	4911385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक के साथ एफ डी आर)	5000000	5000000
3. शेयरर्स	0	0
4. डिबन्चर्स तथा बांडस	1140000	1140000
5. इमदाद तथा संयुक्त उद्यम	0	0
6. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर प्राप्त ब्याज	400338	249711
बचत बैंक शेष	2391292	556590
उप-योग	12343015	11857686
(ख) नई पेंशन योजना		
1. स्टेट बैंक आफ इंदौर में एफ डी आर	900000	0
2. एन पी एस निवेश पर प्राप्त ब्याज	33653	0
3. बचत बैंक शेष	14196	548574.57
उपयोग	947849	548574.57
कुल योग	13290864	12406260

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-6

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

चालू परिसम्पत्तियां, कर्ज आदि	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियां:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	313617	344802
2. विविध देनदार		
क) छः माहे की अवधि से अधिक के बकाया ऋण	98361	98361
ख) अन्य (एम टी एन और जी एम टी में प्रतिभूति)	34532	41230
3. हाथ में नकद शेष	21923	5224
उप-योग	154816	144815
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
- बचत खाते पर (आटो स्वेप एफ डी आर सहित)	1533335336	729331969
- जमा खातों पर	0	1000000000
- बी आर आर जमा	285000000	0
उप-योग	1818335336	1729331969
योग (क)	1818803769	1729821586
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ को अग्रिम	1198418	1404435
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	361600	51999
ii) एल टी सी अग्रिम	0	0
iii) पेट्रोल अग्रिम	4400	400
iv) विविध अग्रिम	2300	57200
उप-योग	368300	109599
ग) राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियां	22353897563	17711699045
2. वसूले जाने वाले अग्रिम और अन्य राशियाँ		
क) पूर्व भुगतेय व्यय	0	0
ख) वसूले जाने वाले अग्रिम आय कर और स्त्रोत पर कर कटौती		
1)अग्रिम आय कर/स्त्रोत पर कर कटौती (वित्तीय वर्ष 2004-05)	77433800	77433800
2) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2005-06)	108150893	108150893
3) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2006-07)	26988083	26988083
4) अग्रिम आय कर/टी डी एस तथा एफ बी टी (वित्तीय वर्ष 2007-08)	351817682	351817682
5) बोर्ड की आय पर टी डी एस	53502840	0
उप-योग	**617893298**	**564390458**
3. प्रोदभूत आय		
क) एफ डी आर पर प्रोदभूत ब्याज पर देय नहीं	1991068	11176978
ख) ऋण पर प्राप्त ब्याज	327504858	251730076
ग) स्टॉफ ऋण पर प्रोदभूत ब्याज	1344470	1215290
घ) बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	12078	0
उप-योग	330852474	264122344
योग (ख)	23304210053	18541725881
योग (क) + (ख)	25123013822	20271547467

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

	अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1.	सावधि जमाओं पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में	10880632	136218834
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	संस्थाओं में	0	0
घ)	अन्य	0	0
2.	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों में बचत बैंक ब्याज: 610585.00 आटो स्वेप एफ डी आर पर ब्याज: 63137421.83 रूपये	63748007	55051981
ख)	गैर-अनुसूचित बैंकों में	0	0
ग)	डाकघर बचत खाता	0	0
घ)	अन्य	0	0
3.	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकारों/अनके क्रियान्वयन एजेंसियों को ऋण पर ब्याज	1321511832	949218617
ख)	कर्मचारियों/स्टॉफ को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	135380	179936
ग)	अन्य - पैनल ब्याज (Penal interest)	5429658	315517
	योग	1401705509	1140984885

अनुसूची-8

	अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	ब्याज दरों की रिसेटिंग के लिए अफ्रंट शुल्क	0	0
ख)	पूर्वभुगतान प्रभार	0	0
ग)	एम ओ यू डी से प्रतिपूर्ति: (एन.सी.आर. पर इंटीग्रेटड ट्रांसपोर्ट प्लान अध्यन)	9369504	0
	योग	9369504	0

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-9

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) का अनुसूची संरचना भाग

(राशि रूपयें में)

स्थापना व्यय (योजना)	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजदूरी (आंतरिक प्रोदभवन से भुगतान)	2685714	1129963
ख) अन्य - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकोष्ठ व्यय	16228420	10814288
योग	18914134	11944251

अनुसूची-10

(राशि रूपयें में)

क) अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पुस्तकों और प्रकाशन की लागत	31184	32107
ii) अध्ययन और सर्वेक्षण	10585263	5778524
iii) विज्ञापन और प्रचार	179334	0
iv) बोर्ड / अन्य बैठको पर होने वाला व्यय	95979	417454
v) प्राजेक्ट एप्राईज़ल फीस (Project Appraisal Fee)	3384283	5429589
vi) मुदण खर्च (Printing Charges)	38500	0
योग	14314543	11657674

अनुसूची-11

(राशि रूपयें में)

बाजार ऋण पर व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांडों पर ब्याज	207284547	23126575
ख) लिस्टिंग शुल्क	5419	50000
ग) रेटिंग ऐजेंसी प्रभार	2921360	1573040
घ) रजिस्ट्रार और स्थानान्तरण एजेंट	7667	0
ड.) रा.रा.क्षे.यो.बो के कर योग्य बांडस 2018 पर न्यासी शुल्क	0	7340000
च) एन एस डी एल प्रभार	0	1124
छ)रा.रा.क्षे.यो.बो करयोग्य 2018 पर कारंपोरेट एकशन/कस्टोडियल फीसं	37080	56742
ज) अरेन्जर फीस	2626394	2022480
झ) रा.रा.क्षे.यो.बो बाँड की आवेदन धन पर ब्याज	3117517	4338692
ण) ट्रस्टीशिप फीस	30000	0
य) रा.रा.क्षे.यो.बो बांड (2019) पर न्यासी शूल्क	1603005	0
र)सर्विलैंस फीस	73500	0
ल) एन एस डी एल वार्षिक कस्टोडियन फीस	67416	0
	217773905	38508653

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

अनुसूची-12

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राशि रूपयों में)

जी पी एफ और सी पी एफ के निवेशों पर आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) जी पी एफ निवेश पर ब्याज	1087819	626479
ख) जी पी एफ के बचत बैंक खातों पर ब्याज	24062	20443
ग) सी पी एफ निवेश पर ब्याज	165562	101645
घ) सी पी एफ बचत बैंक खाता पर ब्याज	6451	956
ङ) एन.पी.एस निवेश पर ब्याज	33653	0
च) एन.पी.एस बचत खाता पर ब्याज	13539	0
योग	1331086	749523

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-13

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची संरचना भाग

अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान	0	0
2. बांड मनी/वेतन और भत्तों की वसूली	0	40542
3. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	0	2300
4. स्टॉफ कार के उपयोग हेतु वसूली	5413	10953
5. पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	1575	2200
6. आर टी आई फीस	1013	432
7. पहचान पत्र खो जाने पर	100	0
योग	8101	56427

ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह./-
निदेशक (प्र.एवं वि.)

ह./-
सदस्य सचिव

अनुसूची-14

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) का अनुसूची संरचना भाग

स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वेतन (मूल + डी पी)	9457002	5694508
भत्ते और बोनस	7108000	5889981
एन पी एस के लिए अंशदान	178288	112306
सेवानिवृत्ति और अंतिम लाभ	2656664	1205992
अन्य		
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	266962	247916
जी पी एफ एकाउंट पर बयाज	779734	815176
एन पी एस एकाउंट पर बयाज	118949	0
भर्ती व्यय	0	0
सम्पदा निदेशालय को भुगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	82912	113363
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	71709	72265
वर्दियां	0	17513
योग	20720220	14169020

अनुसूची-15

प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	40302	55950
हाउस कीपिंग	535507	336799
मरम्मत और रखरखाव	199925	472708
किराया, मूल्य और कर	1015990	739418
वाहन चालन और रखरखाव	376166	480661
पोस्टेज, टेलीफोन और प्रभार	580911	661531
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	197606	355920
यात्रा तथा वाहन व्यय	310730	437346
संगोष्ठी/कार्यशाला पर व्यय	56900	80339
आई एच सी अभिदान व्यय	0	0
कानूनी शुल्क पर व्यय	111977	106500
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	168125	34216
आतिथ्य खर्च	114795	108268
व्यावसायिक शुल्क	141532	408607
विज्ञापन और प्रचार	0	205536
अन्य	52186	98881
योग	3902652	4582680

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार लेखों और संबद्ध महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा तुलन पत्र के संरचना भाग पर टिप्पणियां ।

1. **लेखाकरण अभिसमय:**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और लेखाकरण के प्रोद्भवन तरीके आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक अन्यथा नीचे वर्णित लेखाकरण नीतियों में न बताए गए हों ।

2. **लेखों का नया फार्मेट और नजदीकी रूपयों तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:**

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार नए फार्मेट में तैयार किए गए हैं । वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी रूपयों तक पूर्णांकित किया गया है ।

3. **आय मान्यता:**

सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी गई है ।

4. **नियत परिसम्पत्ति:**

(क) नियत परिसम्पत्तियां मूल्यहास का प्रभार लगाने के पश्चात् हासित मूल्य पर बतायी जाती है ।

(ख) नियत परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दर के अनुसार डब्ल्यू ड़ी वी तरीके से प्रभारित किया गया है । मूल्यहास आय और व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है ।

5. **व्यय की मान्यता:**

एल टी सी के भुगतान को छोड़कर जिसे नकद आधार पर लिया जाता है, सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है ।

6. **सेवा निव्रति लाभ:**

क. वित्तीय वर्ष 2007-08 तक बोर्ड के लेखों में पेंशन, ग्रेच्युटी तथा छुटटी नकदीकरण हेतू कोई प्रावधान नहीं किया गया था तथा सेवानिवृति देनदारी की गणना नकद आधार पर की जाती थी। वर्ष 2007-08 में आडिट ने उनकी उाडिट रिर्पोट में उल्लेख किया था कि पेशन ग्रेच्युटी तथा छुटटी नकदीकरण का प्रावधान प्रोदभवन (Acturial) आधार पर नहीं किया गया था। अनुसूचि16 में दर्शाए गए पैरा 7(क) (घ) (ड) Uniform Format Accounts के अनुसार नहीं थे। इसके अनुपालन में बोर्ड ने एक प्रोफेशनल (Actuary) की नियुक्ति बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी

तथा छुटटी नकदीकरण के लाभ मूल्यांकन (valuation)के लिए की थी। बोर्ड की स्थापना से 31 मार्च 2009 तक इन सेवानिवृति का कुल मूल्याकन 5,0546740 करोड़ रुपये रिर्पोट के अनुसार इस प्रकार हैं:-

रूपयें में

ग्रेच्यूटी	6920778/-
छुटटी नकदीकरण	12477846/-
पेंशन (वर्तमान कर्मचारी)	19306197/-
पेंशन (रिटायर्ड कर्मचारी)	11841919/-

भविष्य में इस प्रकार की देनदारी के भुगतान हेतू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के लेखों में 50546740/- करोड़ रूपये आंतरिक प्रोदभवन (Internal Accural) से प्रोदभवन (Accural)आधार पर प्रावधान किए हैं। जो कि आय एवं व्यय लेखा (गैर-योजना) में दिखाए गए हैं। तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) की देनदारी (Liability) में चालू देयताएं एवं प्रावधान (Current Liabilities and Provisions) में दिखाया गया है।

[ख. **भविष्य निधि:**
बोर्ड सामान्य भविष्य निधि एकाउन्ट और अंशदायी भविष्य निधि एकाउंट का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। जी पी एफ और सी पी एफ के लिए देयता के लिए संगत वर्ष में राजस्व से प्रभारित लगाया जाता है और इसे बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दिया जाता है ।

(ग) **नई पेंशन योजना निधि:**
सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्तीवालों के लिए नई पेंशन योजना (एन पी एस) शुरू की है । कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है । तदनुसार, नई पेंशन योजना निधि का सृजन उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है । बोर्ड कर्मचारी के अंशदान की राशि और विधिवत समान रूप में बोर्ड द्वारा दी गई राशि बैंक में रखकर एन पी एस का रखरखाव कर रहा है । सरकार ने अब तक इन निधियों के निवेश हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं दिया है । इस तथ्य को देखते हुए कि बोर्ड द्वारा एन.पी.एस अभिदाता (subscription) को वर्षिक 8% ब्याज देना होगा, वर्ष 2008-09 के दौरान बोर्ड ने एन.पी.एस फंड का निवेश बैंक में फिक्सड डिपासिड में एक वर्ष के लिए किया है।

(घ) **जी आई एस देयता के लिए बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान:**
बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी से समूह बीमा योजना नामक एक पालिसी ली है और इसके प्रोद्भूत होते ही ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एल आई सी को 6,91,873/- रूपये की राशि अन्तरित की है । बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती करता है तथा इसे एल आई सी को प्रतिमाह भेज देता है। कर्मचारियों की सेवानिवृति / त्यागपत्र के समय उनका क्लेम एल आई सी को ब्याज सहित बचत भुगतान तथा बीमा कवर, जहाँ भी लागू हो हेतू भेजा जाता है।

7. **एन सी आर पुस्तकें और प्रकाशन:**

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में नि:शुल्क वितरित की गई एन सी आर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत को आय और व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है तथा वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक को लागत पर मूल्यांकन किया जाता है और तुनल पत्र में दर्शाया जाता है ।

8. ***योजना औश्र गैर-योजना लेन-देन:***

प्रत्येक योजना और गैर-योजना लेन-देन के लिए अलग से प्राप्तियां और भुगतान खाता तथा आय व व्यय का विवरण तैयार किया जाता है ।

9. ***अध्ययन और सर्वेक्षण:***

अध्ययनों और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्ययों को आय व व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किया जाता है।

10. ***एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ:***

एन सी आर योजना और अनुवीक्षण प्रकोष्ठ पर होने वाले व्ययों को पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर `एन सी आर प्रकोष्ठ व्यय की प्रतिपूर्ति' शीर्ष के तहत आय और व्यय द्वारा प्रभारितकिया जाता है तथा प्रस्तुति और अनुमोदन पर वास्तविक व्ययों में किंसी अन्तर को परिवर्ती वर्ष में समायोजित किया जाता है । जैसे कि वर्ष 2007-08 के लेखों में नोटस के साथ दर्शाया गया है। आडिट वर्ष 2007-08 के लेखों में सूची-8 के आय एवं व्यय (योजना) लेखा पर ठिप्पणी करते समय उल्लेख किया था कि प्रत्येक एन सी आर योजना और अनूवीक्षण प्रकोष्ट (एन सी आर सैल) के लंबित भुगतान तथा वास्तविक भुगतान तथा भुगतान किए गए क्लेमों को बोर्ड के लेखों के साथ सल्गंन लेखाकरण नीतियों के साथ नहीं दर्शाया गया था। एन सी आर सैलों के लबति क्लेमों की स्थिति तथा किए गए प्रावधानों की स्थिति इस प्रकार है:-

एन सी आर योजना और अनुवीक्षणा प्रकोष्ठ	लंबति दावों (claim) का विवरण (31.3.2009) की स्थिति अनुसार		वर्ष 2008-09 के दौरान किए गण्ए प्रावधान
	वित्तीय वर्ष	क्लेम कुल प्रस्तुत (वर्ष अनुसार)	
उत्तर प्रदेश	2005-06, 2006-07 2007-08 2008-09	क्लेम प्राप्त नहीं हुए	46,76700/-
हरियाणा	2008-09	क्लेम प्राप्त नहीं हुए	50,18500/-
राजस्थान	2007-08, 2008-09	2007-08:3533183/-रू 2008-09: क्लेम प्राप्त नहीं हुआ	43,50900/-
दिल्ली	2006-07, 2007-08 2008-09	क्लेम प्राप्त नहीं हुआ	20,08900/-

नोटस:

1. सैल को नवीनतम क्लेम पर की गई प्रतिपूति के आधार पर प्रावधान किया गया है तथा 40% की बढ़ोतरी छठे वेतन आयों के लागू होने के कारण मानी गई है।

2. प्रस्तुति और अनुमोदन पर वास्तविक व्ययों में किसी अन्तर को परिवर्ती वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

11. **आयकर:-** उपयुक्त आयकर प्राधिकार अर्थात वित्त मंत्रालय, राज्स्व विभाग आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली ने उनके आदेश संख्या डी जी आई टी (ई) 10 (23 सी) iv/2008 दिनांक 2.5.2008 के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सेक्शन 10 आयकर नियम 1961 के खण्ड (23सी) iv उपखण्ड (iv) के अर्न्तगत निर्धारण वर्ष 2003-04 से, अनुमोदित कर दिया है। अब बोर्ड की आय को आयकर नियम 1961 खण्ड 10 के (23सी) iv के अर्न्तगत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इस स्थिति को देखते हुए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में कोई आयकर प्रावधान नहीं किया गया हैं। उपरोक्त प्रदान की गई आयकर छुट के बाद, बोर्ड ने आयकर आधिकारी को बैंकों तथा राज्य सरकारों / उनकी क्रियान्वयन एनेन्सी द्वारा वर्ष 2008-09 में टैक्स न काटने हेतु एक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था। दिनांक 31.12.2008 को आयकर अधिकारी द्वारा टैक्स न काटने के लिए प्रमाणपत्र जारी किया था जो कि 31.3.2009 तक वैध था। जो टैक्स बैंकों इत्यादि द्वारा उपरोक्त प्रताण पत्र जारी करने की तिथि से पूर्व काट लिए गए हैं उन्हें अनुसूचि -5 में वसूली योग्य अग्रिम टी.डी.एस के रूप में दर्शाया गया है। इसे आयकर आधिकारी से आयकर रिटर्न के द्वारा वापिस ले गया जाएगा ।

बोर्ड ने निर्धारण वर्ष 2003-04 से भुगतान किए गए पूरे आयकर को रिफंड करने के लिए डी.जी. (छूट) नई दिल्ली को लिखा है जिसे उनके कार्यालय से अवलोकन किया जा रहा है।

12. स्थापना व्यय (योजना) वेतन

अनूसूचि 8 में स्थापना व्यय(वेतन) 26,85714/- रूपये दर्शाएं गए है जिसमें वर्ष 2008-09 में पाँच कर्मचारियों को 21,95416/- वेतन के रूप में तथा 4,90298/- रूपये छठे वेतन आयोग से संबंधित एरियर आंतरिक प्रोदभवन (internal Accural) से भुगतान किए गए हैं।

पांच पद 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित / स्वीकृत किए गए थे तथा इनका व्यय बोर्ड के आंतरिक प्रादभवन (internal Accural) से किया जाना था। तदानुसार ही बोर्ड वर्ष 1999- 2000 से इन पांच पदों के वेतन को आय एवं व्यय लेखा (योजना) में दिखा रहा है जैसा कि वर्ष 2007-08 के लेखों में दर्शाया गया है जो कि मुख्य निदेशक आडिट (Principal Director of Audit) द्वारा अंकेक्षित तथा प्रमाणित किया जा चुका है।

भारत सरकार वित्त मंत्रालया, व्यय विभाग ने उनके का. ज्ञापन संख्या 7/23/2008 ई-III (क) के द्वारा छठे वेतन आयोग के ऐरियर के भुगतान हेतु आदेश स्वायत निकायों (Autonomous Bodies) में जारी करते हुए 80% बजट सहायता देते हुए तथा 20% स्वायत निकाया द्वारा उनकी आंतरिक प्रोदभवन (internal Accural) बचत (saving) द्वारा किए थे।

13. बॉंड रिडम्शन रिजर्व (बी आर आर) का सृजन

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 200 करोड़ रूपये के करयोग्य बांडस प्राइवेट पेलेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार (capital market) से उघाए (raised) थे। सांवेधनिक आवश्यकतानूसार उघाने से पूर्व बाड़ों को वित्तीय रूप से क्रिसिल तथा फिच (CRISIL & FITCH) रेटिंग एजेन्सी से मूल्यांकन करवाया गया था। रेटिंग एनेन्सी ने कहा था कि बोर्ड द्वारा बांड रिडम्पशन रिजर्व इस प्रकार बनाया जाए कि Maturity पर बांड रिडम्पशन एकाउंट में बराबर का रिर्जव बनाया जाए। बोर्ड अपनी बांड की देनदारी को Maturity पर निभा सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने 28.50 करोड़ रूपये से बांड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया है। तथा आवश्यक प्रावधान लेखों में कर दिया हैं।

ह./-	ह./-	ह./-
सहायक निदेशक (वित्त)	निदेशक (प्र.एवं वि.)	सदस्य सचिव